[न्य]ायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[प्रा]र्थना पत्रः—134 / 2020 दायर दिनांकः 18.08.2020
GCMS NO:- 2020/00249

पीठासीन अधिकारी :—श्योराम (आर.ए.एस.)

1. कमल कुमार आत्मज महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी नैनवॉ तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
—प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल साहू आत्मज रामेश्वर प्रसाद जाति तेली निवासी बून्दी रोड नैनवॉ तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैंनवां।
—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीएक्ट

उपस्थितिः—
1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट।
2. अप्रार्थी के अभिभाषक श्री देवेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 09.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवॉ पटवार मण्ड़ल नैनवॉ द्वितीय तहसील
नैंनवां में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि खाता संख्या 58 की खसरा सं. 378 रकबा 03 बीघा 10
बिस्वा भूमि स्थित है। इस भूमि पर आने जाने का रास्ता सदैव से खसरा संख्या 379 रकबा 02 बीघा
08 बिस्वा भूमि में होकर है जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शा रखा है जोकि 25 फुट चौडा है।
यह कि प्रत्यार्थी ने प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करने की नियत से तार
फैसिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी का खेत पर आना जाना मुश्किल हो गया है। यह
प्रार्थना पत्र का कारण है। यह कि प्रार्थी डी.एल.सी दर की राशि अपने खाते के खेत पर आने जाने के
लिए खसरा संख्या 379 जो कि प्रत्यार्थी के खाते की भूमि है, में से आयेगी उसे जमा कराने के लिए
तैयार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी को अपने खाते की भूमि के खसरा संख्या 378 ग्राम
नैनवॉ द्वितीय पर आने जाने के लिए 25 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 379 में होकर दिलाया जावें।
प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में शपथ—पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा परिशिष्ट अ, नकल नक्शा
ट्रेश पेश किया।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। रास्ते के सम्बंध में
तहसीलदार नैंनवां का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपने जवाब मे तहसीलदार नैंनवां ने मौका रिपोर्ट
पेश करते हुये प्रार्थी को अपने खाते की भूमि के खसरा संख्या 378 ग्राम नैनवॉ द्वितीय पर आने जाने
के लिए खसरा संख्या 379 व 347 में से होकर रा[illegible] जाना प्रस्तावित है। यह है कि रास्ते हेतु
खसरा संख्या 379 रकबा 02—08 बीघा के [illegible] से लम्बाई*चौडाई (66*13=858

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फीट) अर्थात लगभग 01 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। यह है कि खसरा संख्या 347 पर अशोक कुमार, दिनेश कुमार, अनिल कुमार ठाकौर पि0 लक्ष्मणलाल कौम ब्राह्मण खातेदार दर्ज है, इनके दक्षिणी पूर्वी मेड पर से लम्बाई*चौडाई (66*13=858 वर्ग फीट) अर्थात लगभग 01 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। यह है कि प्रार्थी कमल कुमार पि0 महावीर प्रसाद महाजन के खसरा संख्या 380 गैर मुमकिन रास्ता के सहारे खसरा संख्या 346 की स्वयं की खातेदारी भूमि है। अपने स्वयं की भूमि से दक्षिणी पश्चिमी मेड से खसरा संख्या 379 तथा 347 की मेड से अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 378 में आने जाने हेतु मय नजरी नक्शा ट्रेस पेश है। प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार कुल 02 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा संलग्न नक्शा ट्रेश में रास्ता प्रदर्शित किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र में अंकित भूमि खसरा सं. 378 कुल रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्राथी ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम नैनवॉ पटवार मण्ड़ल नैनवॉ द्वितीय तहसील नैंनवां में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि खाता संख्या 58 की खसरा सं. 378 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आने जाने के लिये भूमि खसरा नं. 379 के उत्तर पश्चिमी मेड पर से लम्बाई 66 फीट X चौड़ाई 13 फीट= 858 वर्गफीट अर्थात 01 बिस्वा तथा खसरा नं. 347 के दक्षिणी पूर्वी मेड पर से लम्बाई 66 फीट X चौड़ाई 13 फीट= 858 वर्गफीट अर्थात 01 बिस्वा भूमि पर प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में जिन खातेदारान की भूमि उपयोग में आती हो, उनको रास्ते की राशि प्रतिकर में से भुगतान की जावे। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवॉं

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:53:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner